

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :-

तारीख दायर

नानालाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. गोपाल लाल पिता मोहनलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. मनोज पिता मोहनलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक

प्रार्थना पत्र नानालाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम पुरोहितो का खेडा पटवार हल्का उमा जी की खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नई 121 पर अंकित आराजी संख्या 141/1, 141/4, 141/8, 141/11, 141/12, 142/1, 143/2, 143/5, 146/3, 147/1, 280/1, 281/1, 547/3, 655/2, 717/2, 717/4 एवं खाता स० 93 पर आ० न० 144 कुल किता 17 रकबा 18-19 बीघा भूमि खातेदारी है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। अतः पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगद्दी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक ज. भा. का. (राज.) को पत्थरगद्दी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पुरोहितो का खेडा पटवार हल्का उमा जी की खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नई 121 पर अंकित आराजी संख्या 141/1, 141/4, 141/8, 141/11, 141/12, 142/1, 143/2, 143/5, 146/3, 147/1, 280/1, 281/1, 547/3, 655/2, 717/2, 717/4 एवं खाता स० 93 पर आ० न० 144 कुल किता 17 रकबा 18-19 बीघा पड़ौसियान के पत्थरगद्दी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगद्दी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

